Universe Journal of Education & Humanities ISSN 2348-3067
Volume-6, No. 1, Feb-2019, pp.Hin.32-36

डॉ0 राम मनोहर लोहिया का सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन

डॉ0 दानवीर सिंह, एसो. प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान विभाग,
एस.डी. (पी.जी.) कॉलेज मुजफ्फरनगर उत्तर–प्रदेश भारत।

सार–
आधुनिक भारतीय राजनितीक चिंतन के इतिहास में डा. राममनोहर लोहिया एक महान समाजवादी नेता एवं उच्च कोटि के विचारक थे। उनका चितंन राजनीति तक ही सीमित नही था अपितु संस्कृति, दर्शन, इतिहास, साहित्य, सामाजिक आदि सभी पक्षों पर अपने मौलिक विचार थे। उनका व्यापक दृष्टिकोण, दूरदर्शिता, समन्वय और सन्तुलन उनकी विचारधारा की मुख्य विशेषताएं थी। उनकी जीवन दृष्टि समता और अन्याय के प्रतिकार जैसे सशक्त मूल्यों पर आधारित थी। डा. लोहिया एक ऐसे समाज की संरचना के पक्षधर थे जो समतावादी तथा सर्वहितकारी हो।

मुख्य शब्द– भारतीय राजनीतिक चिंतन, समाजवादी संस्कृति, दर्शन, सात क्रान्तिया, साहित्य, दूरदर्शिता, समन्वय, आधुनिकीकरण, पारस्परिक चेतना, रचनात्मक द्वद्धात्मक तर्क, जन–शक्ति, आर्थिक समानता, अल्पकालीन धर्म आदि।

विलक्षण प्रतिभा के धनी डॉ0 राम मनोहर लोहिया एक स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर चिन्तक तथा समाजवादी नेता थे। वे विश्व की उन महान विभूतियों में से एक थे, जिन्होनें अपना सम्पूर्ण जीवन मानव–कल्याण में लगा दिया। उनका जन्म 23 मार्च, 1910 ई0 (अक्षय तृतीया, चैत्र कृष्ण तृतीया) को अकबरपुर उत्तरप्रदेश में हुआ था।[1] उनके पिता का नाम श्री हीरालाल एवं माता का नाम श्रीमती चंदा देवी था। उनके पिता जी गाँधी जी के अनुयायी थे। जब वे गाँधी जी से मिलने जाते थे तो राम मनोहर लोहिया को भी अपने साथ ले जाया करते थे। इसके कारण गाँधी जी के व्यक्तित्व का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। राम मनोहर लोहिया का प्रारम्भिक शैक्षणिक अध्ययन अकबरपुर में सम्पन्न हुआ। उन्होनें सन् 1929 ई0 में कोलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। सन् 1932 ई0 में राम मनोहर लोहिया ने 'नमक और सत्याग्रह' विषय पर अपना शोध–प्रबन्ध जर्मन भाषा में पूरा किया और बर्लिन विश्वविद्यालय से डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त की।[2] सन् 1933 ई0 में वे जर्मनी से अपना विद्यार्थी जीवन समाप्त कर स्वदेश लौट आये।

डा0 राम मनोहर लोहिया एक महान विचारक ही नहीं, बल्कि एक सशक्त एंव मौलिक लेखक भी थे। राजनीति में चिन्तन उनकी अपनी विशेषता थी। 'भूमि सेना' और 'एक घण्टा देश को दो' के नारे उनके मौलिक चिन्तन के ज्वलंत उदाहरण है। डा0 लोहिया ने 'जन' नामक हिन्दी पत्रिका और 'मैनकाइण्ड' नामक अंग्रेजी पत्रिका के सम्पादकत्व का कार्य भी किया। उन्होनें अनेक पुस्तकों की रचना की यथा– व्हील ऑफ हिस्ट्री, दि कास्ट सिस्टम, गिल्टीमैन ऑफ इंडियन पार्टीशन, अस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी, मार्क्स, गाँधी एण्ड सोशलिज्म इत्यादि।

भारतीय राजनीतिज्ञ व कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में डॉ लोहिया ने समाजवादी राजनीति और भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी विचारधारा पर कार्लमार्क्स और गाँधी दोनों के विचारों का असाधारण प्रभाव परिलक्षित होता है परन्तु न तो वे पूर्ण रूप से मार्क्सवादी थे और न ही गाँधीवादी थे। उन्होनें इनमें अद्भुत समन्वय स्थापित किया तथा श्रेष्ठतम तत्वों को सम्मिलित करते हुए नवीन विचारों का प्रतिपादन किया। वस्तुतः वे एक 'समन्वयवादी विचारधारा' के समर्थक थे। इस सम्बन्ध में ओंकार शरद् ने लिखा है कि लोहिया गाँधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के अखण्ड समर्थक थे, लेकिन गाँधीवाद को अधूरा दर्शन मानते थे, वे समाजवादी थे, लेकिन मार्क्स को एकांगी मानते थे, वे राष्ट्रवादी थे, लेकिन विश्व सरकार का सपना देखते थे, वे आधुनिकतम् आधुनिक थे लेकिन आधुनिक सभ्यता को बदलने का प्रयत्न करते रहते थे, वे विद्रोही और क्रांतिकारी थे, लेकिन शांति और अहिंसा के अनूठे उपासक थे।[3]

डॉ0 लोहिया की धारणा थी कि भारतीय समाज का पतन यहाँ व्याप्त अनेक विषमताओं के कारण हुआ है। वे सामाजिक परिर्वतन के द्वारा राजनीतिक चेतना को भी प्रभावित करना चाहते थे। समाज में व्याप्त वर्ग एवं जातिगत असमानता, अशिक्षा, नर–नारी असमानता, अस्पृश्यता, रंग–भेद नीति, साम्प्रदायिकता आदि से डॉ0 लोहिया की विचारधारा मेल नहीं खाती थी। वे परम्परा से चले आ रहे इन सामाजिक भेदभावों को समाप्त कर एक ऐसा समाज स्थापित करना चाहते थे, जो समतावादी तथा सर्वहितकारी हो, तभी देश में विकास को गति मिल सकती है और सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है।

जाति–प्रथा भारतीय समाज और समाजवाद के लिए सदैव एक गम्भीर समस्या रही है। इस संबंध मे डॉ0 लोहिया ने कहा है कि–'भारतीय जीवन में जाति सबसे ज्यादा ले–डूबे उपादान है।'[4] उन्होनें 8 जुलाई 1969 को गुलबर्गा में अपने भाषण में कहा था कि जाति मिटाने का कोई भी तरीका अपनाना होगा। दो हजार सालो से जो दबे हुए है उनको उठाना होगा। छोटी जाति को उठाने के लिए सहारा देना पड़ेगा। जैसे हाथ लुँज हो जाने पर सहारा देते है और तब हाथ काम करने लगता है, उसी प्रकार नब्बे फीसदी दबे हुए लोगों को सहारा देना होगा, उस संमय तक जब तक हिन्दुस्तान में बराबरी में न आ जाये।[5] डॉ0 लोहिया इस विषय में आगे कहते है कि– बिना संघर्ष के किसी चीज का जन्म नहीं हुआ। यह आवश्यक नहीं है कि संघर्ष हिंसात्मक या रक्तपातपूर्ण हो। भूतकाल में सदा ऐसा ही हुआ है क्योंकि वर्ग और वर्ण के आन्तरिक बदलाव और समृद्धि के बाह्य परिर्वतन इस संघर्ष के साथ जुड़े रहे। वर्ग, वर्ण और क्षेत्रीय बदलावों को समाप्त कर मानव जाति की समीपता का लक्ष्य रखने वाले संघर्ष के लिए सविनय और शांतिपूर्ण होना आवश्यक है।[6] डॉ0 लोहिया शांतिपूर्ण संघर्ष द्वारा परिवर्तन लाने के पक्षधर थे।

गाँधी जी के बाद लोहिया प्रथम राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की बराबरी हेतु संघर्ष किया। वर्तमान सभ्यता पुरुष प्रधान है जहाँ सारी संस्थाएँ, आचार–विचार औरतों को दासी बनाये रखने के संबंध में है। आज हम उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रताड़ित होते देख रहे है। समाज में स्त्रियों और पुरूषों के अधिकारों में बहुत असमानता व्याप्त है। डॉ0 लोहिया अनुभव करते थे कि निश्चित रूप से औरत मानवता द्वारा अत्यधिक तिरस्कृत वर्गों में से एक है।[7] वे स्त्रियों के प्रति किये जा रहे असमानता के व्यवहार के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कहते है कि– ''संसार में जितने भी प्रकार के अन्याय इस पृथ्वी को विषाक्त कर रहे है, उनमें से सबसे बड़ा अन्याय नर और नारी के भेद का है। संसार की विशाल मानवता किसी न किसी रूप में नारी की स्वतंत्रता में बाधक रही है। पूरा संसार किसी न किसी रूप में समता का इच्छुक तो है लेकिन आधी से ज्यादा मानवता नारी की स्वतंत्रता के प्रति उदासीन है। आज भी स्त्रियों को सामूहिक जीवन में मनुष्य के बराबर भाग लेने का अधिकार नहीं है।''[8] डॉ0 राम मनोहर लोहिया स्त्री–पुरूष समानता के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि वास्तविक समाजवाद तभी कायम होगा जब उसमें स्त्री की सहभागिता हो। वे प्रत्येक दृष्टिकोण से नारी को सबल और सक्रिय देखना चाहते थे। डॉ0 लोहिया दहेज–प्रथा, पर्दा–प्रथा, बहुपत्नी प्रथा आदि कुरीतियों के घोर विरोधी थे। इसके अतिरिक्त लोहिया स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन, अवसर और कानून संबंधी समानता दिलवाने के पक्षधर थे। उन्होनें सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने के लिए सर्वथा मौलिक दृष्टिकोण रखा।

डॉ0 लोहिया चाहते थे कि भारतीय समाज का विकास सात्विक आधार पर हो। कथनी और करनी में समानता विद्यमान हो। परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि लोहिया आधुनिकता के विरोधी थे बल्कि वे समाज में एक नया परिवर्तन लाने के लिए आधुनिक जीवन की बहुत सी सुविधाओं और आविष्कारों को स्वीकार करते थे। वे लघु यंत्रो और अन्य छोटे–मोटे मशीनीकरण तथा सामान्य आधुनिकीकरण के पक्ष में थे। उनकी धारणा थी कि भारतीय समाज को आधुनिक होना जरूरी है क्योंकि बिना आधुनिक हुए वह अपनी पारस्परिक चेतना को पुर्नस्थापित नहीं कर सकता। परन्तु इस प्रक्रिया में भारत को नितान्त यूरोपियन नकलबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लोहिया की विचार पद्धति रचनात्मक थी। वे सदैव पूर्णता व समग्रता के लिए प्रयास करते थे।

डॉ0 लोहिया का राजनीतिक चिन्तन उनके सामाजिक दर्शन से उत्पन्न हुआ है। वह अनेक कार्यक्रमों सिद्धान्तों और क्रांतियों के जनक माने जाते है। उनकी चिन्तन परिधि का केन्द्रस्थ बिन्दु इतिहास चक्र रहा है। डॉ0 लोहिया इतिहास के चक्र सिद्धान्त में विश्वास रखते थे। उनके अनुसार इतिहास की गति चक्र के सदृश तथा अपरिवर्तनीय होती है। यह धारणा अरस्तु के चक्र–सिद्धान्त का स्मरण दिलाती है। इससे इस धारणा का खण्डन होता है कि इतिहास सरल रेखा की भाँति आगे बढ़ता रहता है। उस चक्रवत गति के दौरान देश सभ्यता के उच्च शिखर पर पहुँच सकता है, और पतन के गर्त में भी डूब सकता है

तथा पुनः उठ सकता है। इतिहास के चक्र सिद्धान्त के प्रवर्तकों में लोहिया सोरोकिन को स्पैंगलर तथा नौथ्रौप से बड़ा मानते थे।[9] डॉ0 लोहिया का मानना था कि वर्ग–जाति संघर्ष को ही इतिहास का नाम दिया जा सकता है। जातियाँ गतिहीनता, निष्क्रियता रूढ़िगत शक्ति का प्रतीक है, जिसके चलते समाज पुरानी परम्पराओं पर चलता है और विकास नहीं कर पाता। जबकि वर्ग परिवर्तनशील शक्ति का प्रतीक है जो सामाजिक गतिशीलता और विकास को बढ़ावा देता है। जातियाँ धीरे–धीरे शिथिल होकर वर्गों में बदल जाती है तथा वर्ग संगठित होकर जातियों का रूप धारण कर लेते है। इस प्रकार समाज में परिवर्तन चक्रीय क्रम में होता रहता है।

डॉ0 लोहिया द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धान्त को स्वीकार करते है किन्तु परम्परावादी मार्क्सवादियों के मुकाबले में वे चेतना को अधिक महत्वपूर्ण मानते है।[10] वे एक ऐसे सिद्धान्त की रचना के पक्ष में थे जिसके अन्तर्गत आत्मा अथवा सामान्य उद्देश्यों का परस्पर ऐसा सम्बन्ध हो कि दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व कायम रह सके।[11] डॉ0 लोहिया के अनुसार द्वन्द्वात्मक तर्क अपने आप में अपूर्ण है क्योंकि वह द्वन्द्व और पूरक दृष्टि में भेद करने में असमर्थ है। मार्क्स कहता है कि मनुष्य की चेतना को भौतिकवादी परिस्थितियाँ निश्चित करती है जबकि डॉ0 लोहिया के अनुसार मनुष्य की चेतना तथा भौतिक परिस्थितियाँ एक दूसरे पर आश्रित है। मार्क्स मानते है कि आर्थिक उद्देश्य प्राप्त हो जाने पर दूसरे लक्ष्य अपने आप ही प्राप्त हो सकते है परन्तु डॉ0 लोहिया के अनुसार आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य लक्ष्य जैसे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि को अलग से प्राप्त करना होगा। उन्होंने कहा कि मार्क्स का सोचना कभी द्वन्द्व का नहीं रहा।[12]

डॉ0 लोहिया ने राष्ट्र–समाज व्यवस्था में बेहतर बदलाव के लिए सप्तक्रांति का सिद्धान्त दिया। उनका मानना था कि सप्तक्रांति के कारण समाज में समानता आएगी। ये सात क्रान्तियाँ निम्नलिखित है–

1– नर–नारी की समानता के लिए

2– चमड़ी के रंग पर रची राजकीय, आर्थिक और बौद्धिक समानता के लिए

3– संस्कारगत, जन्मजात जाति–प्रथा के खिलाफ और पिछड़ो को विशेष अक्सर के लिए

4– विदेशी गुलामी के खिलाफ और स्वतन्त्रता और विश्व लोक राज्य के लिए

5– निजी पूंजी की विषमताओं के खिलाफ और आर्थिक समानता के लिए तथा योजना द्वारा पैदावार बढ़ाने के लिए

6– निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के विरूद्ध तथा लोकतन्त्रीय पद्धति के लिए

7– अस्त्र–शस्त्र के विरूद्ध और सत्याग्रह के लिए।[13]

इन सात क्रान्तियों के सम्बन्ध में डॉ0 लोहिया ने कहा है कि– "मोटे तौर से ये है– सात क्रान्तियाँ, सातों क्रान्तियां संसार में एक साथ चल रही है। अपने देश में भी उनको एक साथ चलाने की कोशिश करनी चाहिए। जितने लोगों को भी क्रान्ति पकड़ में आयी हो, उसके पीछे पड़ जाना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। बढ़ाते–बढ़ाते शायद ऐसा संयोग हो जाए कि आज का इन्सान सब नाइन्साफियों के खिलाफ लड़ता जूझता ऐसे समाज और ऐसी दुनिया को बना पाये कि जिसमें आन्तरिक शांति और बाहरी या भौतिक भरा–पूरा समाज बन पाये।"[14]

डॉ0 लोहिया राजनीति में शक्ति को महत्व नहीं देते थे, उसके स्थान पर वे जन–शक्ति का समर्थन करते थे। उनका विश्वास था कि प्रत्येक देश व काल की परिस्थितियों में यही जन शक्ति राजनीति को अनुमोदित, संपादित व परिवर्तित करती है। डॉ0 लोहिया ने धर्म और राजनीति पर भी अपने विचार व्यक्त किये है। उन्होंने धर्म और राजनीति का सम्बन्ध स्पष्ट करते हुए कहा है कि धर्म का कार्य करना अच्छाई का कार्य करना है और राजनीति का कार्य बुराइयों से लड़ना है। धर्म यदि विधेयात्मक अथवा सकारात्मक है तो राजनीति नकारात्मक। धर्म यदि दीर्घकाल है तो राजनीति अल्पकाल। धर्म और राजनीति एक दूसरे को पूर्ण बनाते है। वे एक ही वस्तु के दो रूप है, एक ही सिक्के के दो पहलू है, इसलिए उन्होंने धर्म को दीर्घकालीन राजनीति और राजनीति को अल्पकालीन धर्म कहा है।[15]

डॉ0 राम मनोहर लोहिया ने न तो राज्य विहिन समाज की कल्पना की है और न ऐसे समाजवादी राज्य की जिसमें शासन सर्वोपरि हो। वे राज्य के महत्व को समझते थे और चाहते थे कि वह समाज के हित का संवर्धन का कार्य करे। राज्य की सत्ता को वे एक स्थान पर केन्द्रित नहीं करना चाहते थे, उनका मानना था कि उनका विभाजन ऐसा होना चाहिए कि वह गाँव–गाँव तक पहुँचे। उन्होनें केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण की परस्पर विरोधी अवधारणाओं के बीच समन्वय और संतुलन स्थापित करने के लिए चौखम्भा–राज्य योजना प्रस्तुत की। इस व्यवस्था के अन्तर्गत गाँव, मण्डल, प्रान्त तथा केन्द्रीय सरकार सभी के महत्व को स्वीकार किया गया है तथा उन्हें एक कार्यमूलक संघवाद की व्यवस्था के अन्तर्गत एकीकृत कर दिया जाएगा। कार्यों का सम्पादन उन्हें एक सूत्र में बाँधकर रखेगा।

चौखम्भा राज्य में राज्य की सशस्त्र सेना केन्द्र के अधीन, सशस्त्र पुलिस राज्य के अधीन तथा अन्य पुलिस मण्डल तथा ग्राम के अधीन रहेगी। लोहे और इस्पात के उद्योग केन्द्र के नियंत्रण में, छोटी मशीनों वाले भावी कपड़े के उद्योग ग्रामों और मण्डलों के नियंत्रण में रहेंगे। चौखम्भा राज्य में मूल्यों पर नियंत्रण केन्द्रीय शासन रखेगा जबकि कृषि–ढ़ाचा और उसमें पूँजी तथा श्रम का अनुपात ग्राम और मण्डल की इच्छा पर निर्भर करेगा। सहकारी समितियाँ, ग्राम तथा कृषि–सुधार सिंचाई का अधिकांश भाग, बीज, भू–राजस्व वसूली आदि राज्य नियंत्रित विषय चौखम्भा राज्य में ग्राम और मण्डल के अधीन किये जायेंगे।[16] कर के मद में जो धन केन्द्र के पास एकत्रित होगा, उसके चार भाग आनुपातिक तरीके से बाँट दिये जायेंगे।

डॉ0 लोहिया ने प्रशासन के केन्द्रीकरण पर बल देते हुए कहा कि जिलाधीश का पद समाप्त होना चाहिए और पुलिस तथा अन्य सेवा विभाग ग्राम और मण्डल के प्रतिनिधियों के अधीन किये जाने चाहिए।[17] उनका यह भी मत था कि राज्यों से राज्यपाल के पद को भी समाप्त कर दिया जाये। न्याय–व्यवस्था में भी परिवर्तन होना आवश्यक है जिससे जनता को सस्ता और शीघ्र न्याय मिल सके। राष्ट्रों के मध्य समता और विश्व सभ्यता के लिए डॉ0 लोहिया ने बालिग मताधिकार द्वारा चुनी हुई और सीमित अधिकारों वाली विश्व सरकार का पाँचवां खम्भा भी जोड़ने पर बल दिया था।

डॉ0 लोहिया यूरोपीय समाजवाद को एशियाई देशो के लिए उपयुक्त नहीं मानते थे। उन्होनें नवीन समाजवाद का समर्थन किया जो देश की परिस्थितियों के अनुकूल हो। इस समाजवाद का नाम उन्होंनें 'एशियाई समाजवाद' रखा। उनका विचार था कि एशियाई राष्ट्रों की अपनी विशिष्ट समस्याएँ है, उन्हें एशियाई तरीको से ही हल किया जाना चाहिए। उनका मानना था कि एशिया के समाजवादियों को मौलिक चिन्तन और अभिक्रम का अभ्यास डालना चाहिए। उन्हें अपनी नीतियों का निर्धारण उस सभ्यता के सन्दर्भ में करना चाहिए जो शताब्दियों पुराने निरंकुशवाद तथा सामन्तवाद के कूड़े–करकट में से उभरने का प्रयास कर रही है। डॉ0 लोहिया के मतानुसार एशियन समाजवाद के मुख्य उद्देश्य है– प्रशासन का प्रजातंत्रीकरण, छोटी मशीनों का थोड़ी पूंजी लगाकर उपयोग, सम्पत्ति का समाजीकरण तथा अधिकाधिक आर्थिक एवं राजनीतिक समानता। और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का जो तरीका डॉ0 लोहिया ने सुझाया, वह है गाँधीवादी जन–आन्दोलन का। वे हिंसा से चिढ़ते थे अतः साम्यवादियों की पूँजीवाद की व्याख्या उन्हें पसन्द न थी और वर्ग–संघर्ष का तरीका उन्हें अनैतिक लगता था। उनका मत था कि वर्ग–संघर्ष विकेन्द्रित समाज के उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए जिससे उसके अन्त में श्रेष्ठ, आर्थिक एवं आध्यात्मिक परिणाम निकल सके।[18] डॉ0 लोहिया एशियाई दृष्टि से एक ऐसे विकेन्द्रित समाजवाद के समर्थक थे जिसका अनिवार्य अर्थ एक ऐसी राजनीति था जिसका बुनियादी रूप छोटी मशीनों पर आधारित उद्योग–धंधे, सहकारी श्रम पर आधारित कृषि तथा ग्राम स्वराज्य पर चौखम्भा–राज्य व्यवस्था के माध्यम से निर्मित था। डॉ0 लोहिया का यह भी मानना था कि वैश्विक समस्याओं के निवारण के लिए एक विश्व–संसद का निर्माण होना चाहिए। उनका विचार था कि व्यस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई विश्व–पंचायत का गठन हो, जिसे सभी देशों के युद्ध बजट का एक चौथाई अथवा पाँचवाँ हिस्सा प्राप्त हो। डॉ0 लोहिया की धारणा थी कि सत्याग्रह के द्वारा भी विश्व–पंचायत की स्थापना सम्भव है। उनका चिन्तन 'विश्व–शान्ति' और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का सच्चा प्रतीक है।

इस प्रकार डॉ0 लोहिया के विचारों का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक समाजवादी बुद्धिजीवी के रूप में उन्होंने सूक्ष्म चिन्तन तथा मनन किया था। वे बहुमुखी प्रतिभा, गतिशील और सिद्धान्तवादी व्यक्ति थे। उनका चिन्तन कभी भी राजनीति तक सीमित नहीं रहा। साहित्य, संस्कृति एवं सामाजिक समस्याओं आदि पक्षों के सम्बन्ध में उनके अपने मौलिक विचार थे। डॉ0 लोहिया ने भारतीय समाज एवं राजनीति में सुधार की व्यापक योजनाएँ प्रस्तुत कर समाज व राष्ट्र को गतिशील बनाने का प्रयास किया। वे शातिपूर्ण तरीकों से समतामूलक समाज का निर्माण करना चाहते थे। व्यापक दृष्टिकोण, समन्वय और सन्तुलन उनकी विचार धारा की मुख्य विशेषता थी। उन्होंने समाजवादी चिन्तन की समस्याओं को एशियाई दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न किया। उनकी विचारधारा देशकाल तक ही सीमित नहीं थी बल्कि विश्व की रचना और विकास के सम्बन्ध में भी उनकी अपनी मौलिक दृष्टि थी। जीवन का शायद ही कोई पहलू ऐसा बचा हो जिसे डॉ0 लोहिया ने अपनी प्रतिभा से स्पर्श न किया हो।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1– इन्दुमती केलकर, लोहियाः सिद्धान्त एवं कर्म, पृ0सं0 25 (1963).
2– वही, पृ0सं0 43.
3– ओंकार शरदः लोहिया के विचार, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद पृ0सं0 10.
4– डॉ0 राम मनोहर लोहियाः जाति प्रथा, प्रथम संस्करण 1964, नवहिन्द प्रकाशन, हैदराबाद, पृ0सं0 1
5– डॉ0 राम मनोहर लोहियाः इतिहास चक्र, पृ0सं0 115
6– वही, पृ0सं0 96.
7– डॉ0 राम मनोहर लोहिया, मैनकाइन्ड, सम्पादकीय टिप्पणी, सितम्बर, 1956.
8– डॉ0 राम मनोहर लोहियाः मार्क्स, गांधी एण्ड सोशल्जिम, पृ0सं0 350.
9– राम मनोहर लोहियाः व्हील ऑफ हिस्ट्री, पृ0सं0 13–15.
10– राम मनोहर लोहियाः आस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी, पृ0सं0 76–77 (बम्बई 6 टुलच रोड, 1952)
11– राम मनोहर लोहियाः व्हील ऑफ हिस्ट्री, पृ0सं0 31.
12– ओकार शरदः लोहिया के विचार, पृ0सं0 40 (1969).
13– डॉ0 ए0पी0 अवस्थीः भारतीय राजनीति विचारक, प्रकाशक, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, पृ0सं0 350.
14– ओंकार शरदः लोहिया के विचार, पृ0सं0 11 (1969).
15– डॉ0 राम मनोहर लोहियाः मर्यादित, उन्मुक्त और असीमित व्यक्तित्व और रामायण मेला, पृ0सं0 48.
16– डॉ0 राम मनोहर लोहियाः भाषण, रीवा, 26 जनवरी, सन् 1950 ई0
17– डॉ0 राम मनोहर लोहियाः क्रान्ति के लिए संगठन (भाग–1) पृ0सं0 113.
18– डॉ0 ए0पी0 अवस्थीः भारतीय राजनीतिक विचारक, पृ0सं0 375.